झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक–429/CS/Res, दिनांक–31.07.2021 के अनुसार अंतर्राज्यीय (Inter State) बस सेवाओं का दिनांक–31.07.2021 से परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

नोबेल कोरोना वायरस (COVID-19) अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें कोरोना वायरस से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराना आवश्यक है। इस क्रम में निम्नलिखित शर्त्तों के साथ अंतर्राज्यीय बसों/वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी :–

(I) सामान्य निर्देश :–

1. चालक/सहायक/यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
2. वाहनों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा एवं सीटों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा।
3. यात्रा के दौरान चालक/यात्रियों द्वारा धुम्रपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
4. यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों/बस स्टैण्ड में यत्र–तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. Containment Zone में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा। इन क्षेत्रों में वाहनों को रोकना, खाना–पीना एवं अन्य क्रियाओं के साथ घूमना–फिरना प्रतिबंधित रहेगा।
6. किसी भी वाहन स्वामी द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन भाड़ा/किराया में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी। वाहनों में निर्गत परमिट एवं अनुमान्य यात्रियों की संख्या के अनुसार यात्रियों का परिवहन किया जायेगा।
7. वाहन स्वामी सभी वाहनों के चालकों, कन्डक्टर एवं अन्य सहकर्मियों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। यात्रियों से भी अनुरोध है कि अधिक–से–अधिक संख्या में टीकाकरण कराकर यात्रा करना सुनिश्चित करें।
8. यथासम्भव वाहनों की खिड़कियाँ हमेशा खुली रखें, ताकि हवा का आर–पार व्यापक प्रसार (Cross Vantilation) हो सके।
9. पैंसठ (65) वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस (10) वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
10. यात्रा करने वाले सभी लोगों से अपील की जाती है कि घर पहुँचने पर अपने कपड़े बदल कर उन्हें साफ करें, स्नान अवश्य करें तथा कुछ दिनों तक घर के अन्य सदस्यों से Social Distancing बना कर रखें।

11. यात्रा के दौरान अपने हाथों से अनावश्यक मुँह, आँख, नाक आदि न छुएँ।

12. यात्रा के दौरान पानी की उपलब्धता होने पर खाने/पीने के पूर्व अपने हाथ साबुन से धोएँ एवं पानी की उपलब्धता नहीं होने पर सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करें।

13. ये शर्तें विश्वव्यापी कोरोना संकट से निबटने एवं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए है। इनका अनुपालन नहीं करने से Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कार्यवाही की जाएगी।

(II) सार्वजनिक बस के लिए निर्देश :–

1. बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत् निबंधित एवं निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट ही बसों के लिए आवागमन पास माना जायेगा।
2. बसें अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलायी जायेगी तथा परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रूकेगी। इनका अनुपालन नहीं करने से Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कार्यवाही की जाएगी।
3. यथासंभव बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग–अलग रखने होंगे या निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग–अलग समय पर अनुमति देनी होगी।
4. वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा।
5. बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

प्रपत्र

क्र० सं०	दिनांक	यात्री का नाम	पूरा पता	कहाँ से कहाँ यात्रा करना है।	मोबाईल न०

6. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले बसों का निबंधन संख्या एवं यात्रा की तिथि निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
7. बस मालिक रूटवार एवं तिथिवार ड्राईवरों/सहायकों का नाम एवं मोबाईल न० सुरक्षित रखेंगे एवं प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर Contact Tracing के लिए उपलब्ध करायेंगे।
8. ड्राईवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा, न ही कोई यात्री उस केबिन में बैठेंगे। बसों में ड्राईवर का केबिन नहीं रहने पर प्लास्टिक/पर्दे से ड्राईवर केबिन तैयार कर उन्हें यात्रियों के सम्पर्क से अलग रखना अनिवार्य।

9. वाहन रूकने के स्थान पर लोगों के उतरने, चढ़ने पर सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे।

(III) <u>जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्य</u> :–

1. वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तों के पार्ट माने जाएँगे उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ–साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
2. बस स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे, जिसके माध्यम से COVID-19 के संक्रमण से बचाव सम्बंधी उपायों को प्रसारित कराएँगे। साथ ही, लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र–तत्र न थूकने, मास्क पहनने, टीकाकरण आदि की हिदायत भी दी जाएगी।
3. नगर निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ–सफाई एवं सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त के आलोक में सभी यात्रियों/बस चालाकों/वाहन मालिकों को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

31/7/21

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।